कार्यालय कलेक्टर, जिला गुना म0प्र0

क्र. 159 / स्था. / 6–2 / 13–पार्ट–2 / नियु. / 2017 गुना,दिनांक 08-03-2019

{ आ दे श }

प्रमुख राजस्व आयुक्त, भोपाल के ज्ञाप क.एफ / स्था.2 / प्राआ / 2018 / 2484, दि. 04 मई 2018 , में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत जिला कार्यालय में रिक्त लिपिक वर्गीय पदों में से 50 प्रतिशत रिक्त पदों को वर्ष 2018 में भरे जाने की कार्यवाही करने के निर्देशों के अनुक्रम में कार्यालयीन ज्ञाप दि. 10.05.2018 तथा संशोधित मांगपत्र दिनांक 24.07.2018 से कलेक्टर कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में रिक्त पदों में से रोस्टर अनुसार कुल 14 / 10 पदों की पूर्ति हेतु पी.ई.बी. प्रेषित मांग पत्र के अनुक्रम में पी.ई.बी. द्वारा चयन परीक्षा आयोजित की जाकर चयनित अभ्यर्थियों की प्रेषित सूची में अंकित अभ्यर्थियों को आहूत किया जाकर, उनके मूल दस्तावेजों का परीक्षण किया गया, तथा सहायक ग्रेड–3 पद हेतु विज्ञापित निर्धारित अर्हता रखने वाले निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके नाम के समक्ष अंकित कार्यालय में सहायक ग्रेड–3 के पद पर अस्थाई रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 की अनुसूचि एक में विनिर्दिष्ट वेतन मेट्रिक्स के लेवल 4 में अंकित वेतनमान 19500–62000 में नियत वेतन पर नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन की जाती है –

क्र.	नाम अभ्यर्थी एवं पिता का नाम एवं पता	गृह जिला	वर्ग	पदस्थापना कार्यालय
1.	श्री मधुरेश झा पुत्र श्री मनोहरलाल, ग्राम ऊमरी, पो. ऊमरी तह.व, जिला गुना म0प्र0	गुना म0प्र0	अनारक्षित (अ.पि.वर्ग)	तहसील कार्यालय आरोन
2.	श्री रंजीत यादव, पुत्र श्री जगदीश यादव, ग्राम बहादुरा, पो. खतौरा, तहसील बदरवास, जिला शिवपुरी म0प्र0	शिवपुरी म0प्र0	अनारक्षित (अ.पि.वर्ग)	कलेक्टर कार्यालय गुना
3.	श्री देवेन्द्रसिंह धाकड़, पुत्र श्री विजय कुमार, ग्राम बचौरा, पो. चकराना, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी म0प्र0	शिवपुरी म0प्र0	अनारक्षित (अ.पि.वर्ग)	तहसील कार्यालय राघोगढ़
4.	श्री अभिषेक जैन पुत्र श्री अजीत कुमार जैन, सर महावीरपुरा, जिला मुरैना म0प्र0	मुरैना म0प्र0	अनारक्षित	कलेक्टर कार्यालय , गुना
5.	सुश्री कृष्णा मित्तल, पुत्री श्री महेश मित्तल, छोटा लुहारपुरा, पुरानी शिवपुरी म0प्र0	शिवपुरी म0प्र0	अनारक्षित	अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय चाचौड़ा
6.	सुश्री पूजा सिंघल पुत्री श्री अशोक सिंघल, वार्ड नं.7, शास्त्री मार्ग, कोलारस, जिला मुरैना म0प्र0	मुरैना म0प्र0	अनारक्षित	तहसील कार्यालय राघोगढ़

.........2 / –

क.	नाम अभ्यर्थी एवं पिता का नाम एवं पता	गृह जिला	वर्ग	पदस्थापना कार्यालय
7.	श्री नरेन्द्र जाटव पुत्र श्री किशनलाल जाटव, वार्ड नं. 33, कमलागंज घोसीपुरा, पुरानी कलारी के पीछे, शिवमंदिर के पास, शिवपुरी म0प्र0	शिवपुरी म0प्र0	अनु.जाति	तहसील कार्यालय मक्सूदनगढ़
8.	सुश्री शालिनी खरे पुत्री श्री बलराम खरे, 63–4, सिविल लाईन केंट गुना म0प्र0	गुना म0प्र0	अनु.जाति	नगरीय तहसील कार्यालय गुना
9.	श्री सोनू चढ़ार पुत्र श्री गोपाल चढ़ार, 734–जयसिंह नगर, जंगल चौकी, हनुमान मंदिर, जिला सागर म0प्र0	सागर म0प्र0	अनु.जाति (दिव्यांग श्रेणी)	नगरीय तहसील कार्यालय गुना

नियुक्ति की शर्तें–

1– म.प्र.शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क. एफ–9,3,5,नियम चार दिनांक 2–4–05 के अनुसार म0प्र0सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नहीं होंगे । इसी प्रकार म0प्र0शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क0 एफ–5,1,05 नियम चार दिनांक 2–04–2005 के अनुसार म0प्र0सामान्य भविष्यनिधि नियम लागू नहीं होंगे ।

2– म0प्र0शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क0 एफ–9,3,03 नियम चार दिनांक 13–04–2005 के पालन में संबंधित का मासिक वेतन से वेतन तथा महंगाई भत्तों की 10 प्रतिशत राशि अंशदान पेंशन योजना के लिये कर्मचारी अंशदान के रूप में काटी जावेगी ।

3– यह नियुक्ति चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में की जा रही है । चरित्र सत्यापन (पुलिस व्हेरिफिकेशन) में यह तथ्य पाया जाता है कि शासकीय सेवक सेवा में रखे जाने योग्य नहीं है, तो नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी ।

4– नियुक्त पद पर कार्यभार गृहण करते समय सिविल सर्जन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड का शारीरिक स्वस्थता प्रमाण –पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

5– यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार शासन हित में किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ता देकर समाप्त की जा सकती है । नोटिस देने के पहले या बाद में अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेगा तो यह समझा जावेगा कि उसने अनुपस्थिति की तारीख से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, तथा ऐसे में एक माह का या नोटिस अवधि में से जितनी भी अवधि कम हो या उतनी अवधि का वेतन भत्ता भुगतान करना होगा। नियुक्ति पर उपस्थित होने के बाद एक माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्त (1) के अन्तर्गत देय रकम भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जावेगी ।

..............3/–

7– नियुक्त कर्मचारी द्वारा शासन द्वारा निर्धारित आयु सीमा पूर्ण कर लेने के पूर्व विवाहित होने तथा वर्ष 2001 के पश्चात् तृतीय संतान के जन्म के तथ्य को छिपाया जाने का दोषी पाये जाने पर भी यह निरुक्ति बिना नोटिस एवं बिना कोई विभागीय जांच किये समाप्त कर दी जावेगी। इस संबंध में शपथपत्र उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

8– नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस में कार्यभार गृहण करना अनिवार्य होगा , अन्यथा यह आदेश स्वतः निरस्त मान्य किया जावेगा।

कलेक्टर,
जिला गुना म0प्र0

पृ.क. 159 /स्था./6–2/13–पार्ट–2/नियु./2017 गुना,दिनांक– 08-03-2019

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1– महालेखाकार, म0प्र0,ग्वालियर,
2– आयुक्त, कोष एवं लेखा, म0प्र0भोपाल,
3– संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन ग्वालियर म0प्र0
4– प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा, कलेक्ट्रेट गुना
5– अनुविभागीय अधिकारी– गुना/ राघोगढ़/चाचौड़ा/आरोन
6– तहसीलदार, गुना/बमोरी/राघोगढ़/मक्सूदनगढ़/आरोन/चाचौड़ा/कुंभराज की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7– कोषालय अधिकारी, गुना/ उप कोषालय अधिकारी ....
8– संबधित श्री .... की ओर पालनार्थ ।
9– स्थापना शाखा, व्यक्तिगत नस्ती संधारण हेतु ।

कलेक्टर,
जिला गुना म0प्र0